भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2443

दिनांक 17/03/2021/26, फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

श्रीलंका से नागरिकताहीन व्यक्ति

2443. श्री कुमार केतकर:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में श्रीलंका के नागरिकताहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा भारत में श्रीलंका से अपंजीकृत नागरिकताहीन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नियोजित और किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका के नागरिकताहीन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं जैसा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से कुछ समुदायों के लिए किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): "कमिशनरेट ऑफ रिहेबलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ नॉन-रेजिडेंट तमिल्स", तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ें के अनुसार, तमिलनाडु के 108 शिविरों में श्रीलंका के 58,843 तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। तमिलनाडु में गैर-शिविर शरणार्थियों के रूप में भी श्रीलंका के 34,135 तमिल शरणार्थी रह रहे हैं, जो स्थानीय पुलिस के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्रीलंका के 54 तमिल शरणार्थी मलकानगिरी, ओडिशा के शरणार्थी शिविर में रह रहे थे।

(ग) और (घ): भारत की नागरिकता "नागरिकता अधिनियम, 1955" के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा शासित होती है। श्रीलंका के नागरिक सहित कोई भी विदेशी नागरिक "नागरिकता अधिनियम, 1955" और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने के बाद पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

******